



# पटना नगर निगम

मौर्यालोक कॉम्प्लेक्स, पटना।

पत्रांक ११...../



बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 324 (1) तथा 323 (1) के अंतर्गत नोटिस

परिवाद संख्या 388/2017

बनाम:-

भवन स्वामी-श्रीमती-कलप्राणी डेवी  
पति-श्री विरेंद्र कुमार पाण्डेय  
सावित्री बालाजी इन्कलेव से पूरब  
शैलवे हंगर रोड, पूर्वी लोहानीपुर, पटना

(कार्य स्थल) पूर्वी लोहानीपुर पटना पटना।

पटना, दिनांक.....

पटना नगर निगम द्वारा प्रतिनियुक्त अभियंत्रण जाँच दल के जाँच प्रतिवेदन/ परिवाद पत्र से स्पष्ट हुआ कि आप बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 313 एवं 315 के प्रावधानों का उल्लंघन कर बगैर नक्शा पारित कराये/पारित नक्शा से विचलन कर पटना नगर निगम के मुहल्ला पूर्वी लोहानीपुर सड़क.....वार्ड नं० 36..... में अनाधिकृत निर्माण कर रहे है। परिवाद पत्र के अनुसार उक्त निर्माण कार्य में भवन उप विधि का उल्लंघन पाया गया है।

अतः आपको बिहार नगरपालिका अधिनियम की धारा 324 (1) के तहत आदेश दिया जाता है कि तुरन्त उक्त निर्माण कार्य को बन्द कर दें एवं अगले आदेश तक बन्द रखें।

आपको यह भी आदेश दिया जाता है कि सूचना प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अन्दर इस कार्यालय में लिखित रूप से कारण दर्शावें कि क्यों नहीं बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 323 के अनुसार आपके द्वारा किये गये अनाधिकृत निर्माण को ढाहने का आदेश दिया जाय।

अनु०-जाँच प्रतिवेदन संलग्न है।

ह०/-

नगर आयुक्त

पटना नगर निगम।

ज्ञापांक:- ११५५..... निगरानी शाखा/दिनांक:- 13/09/17.....

प्रतिलिपि:- 1 थानाध्यक्ष, कलमकुर्नी..... थाना, पटना को सूचनार्थ। बि० न० अ०-2007 की धारा-399 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाय।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, लोहानीपुर..... अंचल/कार्यपालक अभियंता, लोहानीपुर प्रमण्डल को सूचनार्थ।

नगर आयुक्त  
पटना नगर निगम।

“ बेहतर हो पहचान अपना,  
विकसित राजधानी सुन्दर पटना”